लोगों को बदलनी होगी मानसिकता

वरीय प्रतिनिधि

पटना : राज्य सरकार मानव तस्करी की अमानवीय समस्या से पूरी तरह अवगत है . इससे निबटने के लिये सारे आवश्यक कानून बनाये जायेंगे. इस समस्या के बारे में व्यापक जागरुकता फैलाने के मामले में एनजीओ अत्यंत कारगर भूमिका निभा सकती है.जब तक समाज में लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक मानव तस्करी, बाल मजदूरी पर लगाम नहीं लगाया जा सकता. इसके लिये समाज में सभी तपके के लोगों को आगे आना होगा. उक्त बातें बिहार विधान परिषद के एनेक्सी सभागार में बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के संयुक्त तत्वावधान में मानव तस्करी के विभिन्न आयाम सता और समाज की समाधानकारी भूमिका विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में अपने संबोधन के दौरान बिहार विधान परिषद के सभापति ताराकांत झा ने कही. उन्होंने कहा कि मजदूरों या लड़कियों की तस्करी करने वालों की मानसिकता जाननी चाहिए . बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद ने कहा कि जिन लड़कियों की तस्करी करके बेच दिया जाता है, उनको मुक्त कराने के बाद भी उनके परिवार के सदस्य उन्हें अपनाने से इंकार कर देते हैं. लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी

होगी.इस मौके पर उपस्थित हैदराबाद की एनजीओ संचालिका सुनीता कृष्णन ने कहा कि भारत में हर दस मिनट में एक लड़कियां बिक जाती है । दिन प्रतिदिन इसकी गतिविधियां बढ़ रही है. पहले की अपेक्षा यह

मानव तस्करी

काफी तेजी से फैल रही है. देश में अगर तीस लाख लोगों की तस्करी होती है उनमें 45 फीसदी की उम्र 18 वर्ष से कम होती है. उन्होंने कहा कि 2003 में मानव तस्करी रोकने के लिये एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी तैयार की गयी जिसमें तमाम जानकारियां समावेशित की गयी है. समय समय पर बदलाव करने के बाद करीब 2008 में पॉलिसी पूर्ण रुप से तैयार कर दी गयी. मानव तस्कर शिक्षक, सांसद, चिकित्सक या एक एनजीओ संचालक भी हो सकता है. सिर्फ साक्षरता से तस्करी नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि सारक्षता में वो सारी चीजें लोगों को नहीं सिखायी जाती है जो मानव तस्करी रोकने के लिये जरुरी है. श्रीमती कृष्णन ने बताया कि उनकी संस्था प्रज्जवला के माध्यम से बीते सोलह सालों में करीब 6011 बच्चों को ट्रैफिकिंग से मुक्त कराया गया. इस कार्यशाला में दिल्ली से आयी भारती अली ने बताया कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय धन का प्रवेश भारत में होता रहेगा तब तक मानव तस्करी को रोका नहीं जा सकता. बहुत हद तक राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर निर्भर हो गयी है. आने वाले दिनों से तस्करी की समस्या से और भी जुझना पड़ेगा. जब तक इस दिशा में राज्य सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठायेगी तब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा. मई 2011में अंतर्राष्ट्रीय कानून हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता भी दिखलायी गयी लेकिन उसे धरातल पर नहीं लाया जा सका. इस मौके पर बाल संरक्षण महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष किरण घई सिन्हा, सूबे के कमजोर वर्ग के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद पांडेय उपस्थित थे.